

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## कार्यसूची

नवम् सत्र


सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक्)

2.00 बजे (अपराह्न)

### 1. प्रश्नोत्तर:

#### (1) तारांकित :


दिन के लिए



पृथक सूची में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

#### (2) अतारांकित :

दिन के लिए



पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

### 2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 14 सितम्बर, 2020 से प्रारम्भ हो रहे सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

### 3. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-II) हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (ii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (विनियोग लेखे) हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (iii) भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 (राज्य के वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;

- (iv) हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी(वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 की धारा-4 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 की धारा 18(3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वर्ग-1(राजपत्रित)(नियुक्ति, सेवा की शर्तें, आचरण और अपील) नियम, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या:गृह-बी(ए)3-6/2015 दिनांक 26.10.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.11.2019 को प्रकाशित;
- (v) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19; और
- (vi) हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर के नियम, 2004 के नियम 16 के उप-नियम 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, हमीरपुर का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019-2020 ।
- (2) **श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक- एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित); और
- (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ऐग्रो इण्डस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) ।
- (3) **डॉ० राम लाल मारकण्डा, तकनीकी शिक्षा मन्त्री**, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी०पी०सी०) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2018-19; और

- (ii) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा Balance Sheet, वर्ष 2018-19 ।
- (4) श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, हिमाचल हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा-45(4) के अन्तर्गत चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 व 2016-17 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।
- (5) श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 15(1)(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, वर्ष 2018-19(01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

#### 4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2020-21), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-
- (i) समिति का 150वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 74वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति का 151वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 76वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;
- (iii) समिति का 152वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 77वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;

- (iv) समिति का 153वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 78वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;
- (v) समिति का 154वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 79वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित है;
- (vi) समिति का 155वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 58वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है;
- (vii) समिति का 156वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 101वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है; और
- (viii) समिति का 157वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 99वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है ।
- (2) श्री बलबीर सिंह वर्मा, सभापति, मानव विकास समिति, (वर्ष 2020-21), समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 11वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि योजना विभाग से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

## 5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- (1) श्री आशीष बुटेल, दिनांक 9 सितम्बर, 2020 को समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "पालमपुर नगर निगम के गठन पर 5 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने जताई आपत्ति" से उत्पन्न स्थिति की ओर शहरी विकास मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।
- (2) श्री राकेश सिंघा, दिनांक 6 सितम्बर, 2020 को पंजाब केसरी में प्रकाशित शीर्षक "सेब के दाम में भारी गिरावट, बागवान मायूस" से उत्पन्न स्थिति की ओर जल शक्ति मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

## 6. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :

- (1) श्री महेन्द्र सिंह, जल शक्ति मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-  
हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)बी (7)के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो सदस्यों को डा0 वाई0 एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी की अभिषद् (सीनेट) में दो वर्ष के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेटेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "
- (2) श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-  
"हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 11(1)A(vii) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो माननीय सदस्यों को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए जिस तिथि से अधिसूचना जारी होगी तथा उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टेच्यूट तथा रेगुलेशन के अधीन मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है। "

## 7. विधायी कार्य :

### सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

- (i) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) लागू औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्यांक 14) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।
- (ii) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) यथालागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।
- (iii) श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य को कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) यथालागू कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।  
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

## 8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री किशोरी लाल, प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने बारे यह सदन विचार करे।"

शिमला-171004

दिनांक: 11 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,

सचिव ।

\*\*\*

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)  
(विधेयकों पर स्वीकृत संशोधन यदि कोई हो तो वह भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## नवम् सत्र

औद्योगिक विवाद (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 5) जोकि दिनांक 14 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>Shri Rakesh Singha</b>	1	2	-	10	the words " <b>and non-public utility service</b> " be deleted.
		1	3	-	13	for the words "sixty days", the words " <b>ninety days</b> " be substituted.
		1	4	-	15	for the word "one hundred and fifteen" the words " <b>seventy five</b> " be substituted.
2.	<b>Shri Jagat Singh Negi</b>	1	3	-	13	for the words "sixty days", the words " <b>fourteen days</b> " be substituted.

शिमला-171004  
दिनांक: 11 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*.

# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## नवम् सत्र

ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) जोकि दिनांक 14 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर स्वीकृत संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>Shri Rakesh Singha</b>	1	2	-	10	for the word "thirty", the words " <b>fifteen</b> " be substituted.
2.	<b>Shri Jagat Singh Negi</b>	1	2	-		for the word "thirty", the words " <b>nineteen</b> " be substituted.

शिमला-171004  
दिनांक: 11 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*.



# हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

## नवम् सत्र

कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7)  
जोकि दिनांक 14 सितम्बर, 2020 हेतु विचार-विमर्श एवं पारण के लिए निर्धारित है पर  
स्वीकृत संशोधन की सूची:-

Sr. No.	Name of Member	Page	Clause	Sub-clause	Lines	Proposed Amendment
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1.	<b>Shri Rakesh Singha</b>	1	2	(a)	10	for the words "twenty", the words " <b>eight</b> " be substituted.
		1	2	(b)	12	for the words "forty", the words " <b>fifteen</b> " shall be substituted.
		1	3	(iv)	15&16	for the word "one hundred and fifteen", the words " <b>seventy five</b> " be substituted.
		2	4	-	2	for the words "twenty" and "forty", the words " <b>eight</b> " and " <b>fifteen</b> " be substituted.
		2	5	-	4-19	Clause 5 be deleted
2.	<b>Shri Jagat Singh Negi</b>	1	2(a)	-	10	for the words "twenty", the words " <b>fifteen</b> " be substituted.

शिमला-171004  
दिनांक: 11 सितम्बर, 2020

यशपाल शर्मा,  
सचिव ।

\*\*\*\*.